निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-59वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़** के माह **05/2012** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व **श्री सूर्य पाल,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **15.03.2017** से **20.03.2017** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **तहसील पिथौरागढ़**

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0	0	0	0	43769500	43548493	0	221007
2015-16	0	0	0	0	49838500	44370357	0	5468143
2016-17 (02/2017 तक)	0	0	0	0	47972000	38062516	0	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः **निरंक**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः **निरंक**

(iii) इकाई को बजट आवंटन **राज्य सरकार** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**सी**' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2013, 03/2014, 03/2015 एवं 03/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, 14 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 400.09 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 400.09 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2012-13 तक	33.71
2013-14 तक	9.34
2014-15 तक	8.80
2015-16 तक	143.30
2016-17 तक	**400.09**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 ₹ 6400 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री लोक मणि भट्ट	तहसीलदार	03/2014	06/2015	16*400=₹ 6400

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की कटौती कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी.वी.आर. की कटौती पूर्व में ही की जानी चाहिए थी।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 ₹ 2131.44 लाख के बजट व्यय के लिए रोकड़बही न बनाया जाना।

Central Government Account (Receipts and Payments) Rules-1983 के नियम संख्या 13 (1 से 5) में उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय एवं संस्था को कार्यालयी प्राप्त बजट एवं व्यय के संव्यवहार का रखरखाव रोकड़बही में किया जाना चाहिए जिसके संव्यवहारों का मासिक सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) के वेतन भत्तों, 11-सी पंजिका तथा बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 05/2012 से 02/2017 बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया-

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	**-**	**-**	50181209	49610630
2013-14	**-**	**-**	41595000	37551777
2014-15	**-**	**-**	43769500	43548493
2015-16	**-**	**-**	49838500	44370357
2016-17 (02/2017 तक)	**-**	**-**	47972000	38062516
योग				**213143773**

अग्रेतर रोकड़बही हेतु जांच में वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) कुल **₹213143773** के व्यय हेतु रोकड़बही नहीं बनाया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कैशबुक का रखरखाव कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यालय/संस्था द्वारा कार्यालयी बजट एवं संव्यवहारों का रखरखाव रोकड़बही में न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-4 ₹ 94.27 लाख के वितरण में प्रक्रिया का पालन नहीं करना।

दैवीय आपदा के अन्तर्गत पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए तैयार किये गये तत्सम्बन्धित पी-20 में भवन की फोटोग्राफ अवश्य रुप से लगी होनी चाहिए तथा पंजिका में प्राप्तकर्ता के व कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संबन्धित पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तक पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए धनराशि वितरण के पूर्व संबन्धित पी-20 के साथ भवन के फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये हैं।

विवरण निम्न है-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	मद (गृह निर्माण)	वितरित की गयी धनराशि (₹ लाख में)
2015-16	14	पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त	14.27
2016-17	40	पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त	80.00
योग		**-**	**94.27**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया कि संबन्धित फोटोग्राफ जिला मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी-20 तहसील से संबन्धित अभिलेख होते हैं, इनका रखरखाव तहसील में ही होना चाहिए।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

1. संग्रह अनुभाग की सेवा-पुस्तिकाएं व सामान्य भविष्य निधि पासबुक

2. माह 03/2013 एवं 03/2014 के व्यय सम्बंधी वाउचर्स कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। विवरण निम्न है

दिनांक	वाउचर संख्या	धनराशि (₹ में)
22.03.2013	B20530050	2783
22.03.2013	B20530051	20291
22.03.2013	B20530052	5000
25.03.2013	B20290068	3000
25.03.2013	B20290069	4976
25.03.2013	B20290070	4977
25.03.2013	B20290071	2044
25.03.2013	B20290072	2775
25.03.2013	B20530057	1630
25.03.2014	B20290052	2000
25.03.2014	B20290053	3053
25.03.2014	B20290054	2536
25.03.2014	B20290056	1446
25.03.2014	B20290058	926
25.03.2014	B20530090	870
25.03.2014	B20530091	1850
25.03.2014	B20530092	13050
25.03.2014	B20530093	1671
25.03.2014	B20530094	1008
25.03.2014	B20530095	4600
25.03.2014	B20530099	7780
25.03.2014	B20530103	24365
26.03.2014	B20290059	5000
26.03.2014	B20530104	13560
27.03.2014	B20530105	8490
31.03.2014	B20530147	4980
योग		**144661**

1. **सतत् अनियमितताएः <u>शून्य</u>**
2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः**

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री आर0डी0 पालीवाल	उपजिलाधिकारी	02.11.2011	30.05.2012
2.	श्री बी0एल0 राणा	उपजिलाधिकारी	05.06.2012	19.06.2012
3.	श्री नरेश चन्द्र दुर्गापाल	उपजिलाधिकारी	19.06.2012	05.10.2013
4.	श्री जय भारत सिंह	उपजिलाधिकारी	07.10.2013	11.06.2014
5.	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी	12.06.2014	18.09.2016
6.	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	19.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **<u>कार्यालय उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़</u>** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र